

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 668
05 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार

668. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सेना में जवानों की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने आए हैं;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग): सेना की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक

(क) : जी, हां ।

(ख) : गत 5 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के कुल 9 मामले सामने आए हैं । वर्ष 2015 में 03 मामले, 2017 में 02 मामले, 2018 में 02 मामले और 2019 में 02 मामले । वर्ष 2016 में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया है ।

(ग) : सेना भर्ती प्रक्रिया को सतत रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित किया जा सके । इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- (i) भर्ती स्थापना में तैनात किए जा रहे कार्मिकों को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों और पिछले सेवा रिकार्ड के आधार पर विस्तृत सत्यनिष्ठा जांच की जाती है ।

- (ii) संगठन में व्यक्तियों का कार्यकाल एक ही बार तय किया जाता है तथा किसी को भी इस कार्य के लिए दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाता ।
- (iii) कम से कम मानवीय हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है ।
- (iv) विसंगतियों की समयोचित पहचान के लिए भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त जांच एवं नियंत्रण संबंधी उपायों को शामिल किया गया है । नियमों में कोई चूक न हो तथा अनाचार का कोई मामला उत्पन्न न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ।
- (v) प्रत्येक रैली से पहले सभी उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है ।
- (vi) भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा । दोषियों के खिलाफ शीघ्र जांच एवं कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है ।
- (vii) उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता उस स्थिति में रद्द कर दी जाती है जब यह पाया जाता है कि उसने अपने चयन के लिए अनुचित माध्यमों का सहारा लिया है ।
